कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 882 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 26/09/ 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– अल्मोडा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में द्वारसों – काकडीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाडी से भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/ 53193/2020.

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 55 / 2022 / एफ0सी0 / 644 दिनांक 04.08.2023।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1583 / 12–1 (2) दिनांक 23.09.2023 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(पी0के0 पात्रो)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्सः 05962.232182ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 1583/12-1(2)अल्मोड़ा दिनांक 23-9-.2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय – जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में द्वारसों–काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी से भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 53193/2020)।

संदर्भ – भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी/यू0सी0पी0/06/55/2022/एफ0सी0/644 दिनांक 04.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा 8 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है, जिसका निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन कर दिया गया है, जो निम्नवत है :–

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	The locations of all the villages to be benefited by the proposed road are not marked on the KML file. Accordingly, the State Govt. is requested to mark the locations of the concern villages in the KML file and upload the same in the online portal.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्राम ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट I के सैक्शन सी0 में अपलोड कर लिया गया है।
2	In the geo-referenced map, the existing roads of Kalika-Dalmoti MR and Tanwari- Baisolti MR are available at both the ends of the proposed road. In view of the fact the purpose of the proposed alignment is not clear because there is no habitation in between these two ends. The concerned DFO is requested to visit the site and comment on the requirement of the proposed road.	अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08.08.2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रस्तावक विभाग द्वारा मौके पर ही पूर्वनिर्मित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने हेतु कहा गया, जिसके क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम भैसोली, टनवाणी भैसोली मोटर मार्ग से जुड़ गया है एवं ग्राम दलमोटी, कालिका दलमोटी मोटर मार्ग से जुड़ चुका है। किन्तु वर्तमान में ग्राम बटुली के 32 परिवार की 109 जनसंख्या मोटर मार्ग की सुविधा से वंचित हैं जिसके कारण उन्हें उक्त दोनों मोटर मार्गों तक पहुँचने हेतु लगभग 4 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से भैंसोली एवं बटुलिया के निवासियों को कालिका दलमोटी होते हुये रानीखेत जाने के लिये न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी। वर्तमान में भैसोली एवं बटुलिया के निवासियों को रानीखेत जाने के लिये टनवाणी भैसोली मोटर मार्ग से होते हुये द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग से द्वारसों जाकर फिर रानीखेत जाने में 25 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है। इस मार्ग के बन जाने से यह दूरी मात्र 10.00 कि0मी0 रह जायेगी जिससे ग्रामवासियों को बाजार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित

		आवश्यकताओं के लिये एक सुलभ एवं सस्ता मार्ग उपलब्ध हो जायेगा जोकि अत्यंत लाभप्रद होगा।
3	It is seen that, the bridal path is available all along the proposed alignment which is not been examined as an alternate alignment. The State Govt. is requested to submit the examination report/comment on the same.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रामवासियों के आवागमन हेतु पैदल मार्ग स्थित है किन्तु वह मार्ग से मोटर मार्ग प्रस्तावित किया जाना तकनीकी दृष्टिकोण से सम्भव नहीं है। ग्रामवासियों द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में लाये जा रहे पैदल मार्ग की औसतन चौड़ाई मात्र 1.5 मी0 है, जो कई जगह 0.50 मी0 भी रह जाती है। मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7 मी0 चौड़ाई में वृक्षों का पातन आवश्यक होगा। यह भी अवगत कराना है कि पैदल मार्ग का ग्रेड अधिकांश स्थानों पर 1:2 से लेकर 1:5 तक है। जोकि मोटर मार्ग के निर्माण हेतु तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है।
4	The State Govt. is requested to find out the width of the existing bridle path. It's seen that, in the initial half portion the proposed road is almost parallel to the existing path and if required, the same may be widened instead of constructing a new road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रामवासियों द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में लाये जा रहे पैदल मार्ग की औसतन चौड़ाई मात्र 1.5 मी0 है, जो कई जगह 0.50 मी0 रह जाती है। यह कहना सही है कि पैदल मार्ग के समानान्तर यह मोटर मार्ग प्रस्तावित है किन्तु यह पैदल मार्ग का ग्रेड अधिकांश स्थानों पर 1:2 से लेकर 1:5 तक है। जोकि मोटर मार्ग के निर्माण हेतु तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। यदि पूर्व निर्मित पैदल मार्ग के समरेखण पर प्रस्तावित मोटर मार्ग को प्रस्तावित किये जाने के प्रयास किये जाये तो वंचित ग्राम बटुलिया को संयोजित करने हेतु अनावश्यक रूप से लगभग 5 नं0 हेयरपिन बैण्ड बनाने पड़ेगे जिससे अत्यधिक मात्रा में वृक्षों का पातन करने की आवश्यकता होगी एवं उक्त पैदल मार्ग को किसी–किसी स्थान पर ही मोटर मार्ग हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।
5	The State Govt is requested to submit the propose tree enumeration list for 7m width. Further, tree enumeration for the area proposed for muck dumping shall also be submitted separately.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग की 7 मी0 चौड़ाई में गणना सूची पार्ट । के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 50 में अपलोड कर ली गयी है।
6	As per the DSS analysis of CA area 2.0 hectare area is found MDF out of total 4.42 ha area. The State Govt. is requested to revisit the area for its suitability and the concerned DFO must ensure that the area proposed CA is suitable for raising plantation and shall have vegetation density below 0.4 If required, this 2.0 ha area can also be replaced with some other suitable area.	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नया स्थल चयनित कर लिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना पार्ट । के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 51 में अपलोड कर ली गयी है।
7	The villages located at both the end of the proposed road are already well	प्रस्तावक विभाग द्वारा मार्ग के दोनों छोर मोटर मार्ग से जुड़े हुयें है किन्तु उनके बीच में पड़ने वाले ग्राम बटुलिया के 32

	connected. There is no necessity of the proposed road. Further, the road affects 246 trees. The State Govt. is requested to justify the necessity of the proposed road.	परिवारों की 109 जनसंख्या एवं ग्राम दलमोटी के 46 परिवारों की 187 जनसंख्या इस मोटर मार्ग के बन जाने से लाभान्वित होगी। उक्त क्षेत्र में फल, सब्जी का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है किन्तु उक्त क्षेत्र में मोटर मार्ग नहीं होने से ग्रामवासियों को अपने उत्पाद सिर बोझ या घोड़े खच्चरों की मदद से बाजार पहुँचाते हैं, जिससे अत्यधिक लागत आती है। यह मार्ग जनहित में बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।
8	The total forest involved and the numbers of trees affected in the proposed as well as the alternative alignment are also not provided. The State Govt. is requested to ensure that the User agency shall provide the details to alternative alignments.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्नक संख्या 2.3 (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट) के अनुसार प्रस्तावित समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 1160 (मी0) नाप भूमि., 940 (मी0) सिविल भूमि, 300 (मी0) वन पंचायते, 1600 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी तथा इस वैकल्पिक समरेखण के चयन में कुल 1.044 हे0 नाप भूमि 0.846 हे0 सिविल भूमि 0.270 हे0 वन पंचायत भूमि एवं 1.440 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.556 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर लगभग 418 वृक्ष चीड़, बॉज, काफल की प्रजाति के वृक्ष इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 60 वृक्ष बांज प्रजाति के भी प्रभावित होंगे। जिस कारण यह संरेखण मार्ग निर्माण हेतु अनुपयुक्त पाया गया जिसे मार्ग निर्माण हेतु निरस्त किया गया ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार 4–4 प्रतियों में।

भवदीय,

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।